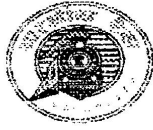


2 pages



270

1
31/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-4-03

क्रमांक- 31 / 2017

सं0 ई/171/2/भाग-1 V/चार

दिनांक 06-03-2017

सचिव/महाप्रबन्धक,

सचिव/अपर महाप्रबन्धक,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,

सभी कार्मिक अधिकारी,

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार सदस्यों के लिए
इम्पैनल्ड अस्पतालों में आपातकाल में कैशलेस ट्रीटमेन्ट योजना
(सीटीआई) पर पॉलिसी पत्र।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2014/एच/28/1/स्मार्ट कार्ड/पार्ट ए दिनांक
20.02.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 14.07.2016 एवं 24.01.2017 इस कार्यालय
के समसंख्यक परिपत्र क्रमशः दिनांक 31.08.2016 (क्रमांक-136/2016) एवं दिनांक
09.02.2017 (क्रमांक-12/2017) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर-02 प्रतियों में।
- 5- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

For Financial Commissioner Railways